

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री रामेश्वरदास

विपक्षी :- श्री नानिया

किस्म मुकदमा :- 88,188 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 162/25

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/338

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 24.03.2026</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1/1, 1/3 से 1/5, 2, 3 द्वारा तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1/1, 1/3 से 1/5, 2, 3 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्रो का पेश कर वाद विद्रो किये जाने का निवेदन किया साथ ही अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया कि वादी संख्या 1/2 किसी आवश्यक कार्य के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। इसलिए वादी संख्या 1/2 की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद विद्रो फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे।</p> <p>अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादी संख्या 1/1, 1/3 से 1/5, 2, 3 को प्रार्थना पत्र वाद विद्रो का पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादी संख्या 1/1, 1/3 से 1/5, 2, 3 की पहचान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई। वादी संख्या 1/2 की ओर से अधिवक्ता वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद विद्रो किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादी संख्या 1/1, 1/3 से 1/5, 2, 3 अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्रो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

